

किराया अनुबंध

मकान या रिहायशी यूनिट का किराया
भारतीय कानून के अनुसार

1. मकान मालिक (किराये पर देने वाला)

पूरा नाम (मकान मालिक)

गली और मकान नंबर (मकान मालिक)

पिन कोड (मकान मालिक)

शहर (मकान मालिक)

फ़ोन या ई-मेल (मकान मालिक)

2. किरायेदार

पूरा नाम (किरायेदार)

गली और मकान नंबर (किरायेदार)

पिन कोड (किरायेदार)

शहर (किरायेदार)

फ़ोन या ई-मेल (किरायेदार)

3. किराये की वस्तु

मकान/यूनिट का पता (गली, नंबर, पिन कोड, शहर, मंज़िल)

कमरों की संख्या

रहने का क्षेत्रफल (वर्ग फ़ुट)

चाबियों की संख्या

मकान पूरे फ़र्नीचर के साथ किराये पर दिया जाता है।

स्टोर / भंडारण कक्ष शामिल है।

4. अवधि

किराया अनिश्चितकालीन तय किया गया है।

शुरू होने की तिथि

इस तिथि तक (वैकल्पिक)

5. किराया और खर्च

मूल किराया (प्रति माह)

रखरखाव/सेवा शुल्क (राशि)

कुल किराया (राशि)

जमानत राशि / सिक्योरिटी डिपॉज़िट

किराया इस खाते में भेजा जाएगा

किराया हर महीने अग्रिम रूप से, अधिकतम हर महीने की तीसरी कार्य-दिवस तक चुकाया जाएगा।

6. स्थिति

मकान सुव्यवस्थित स्थिति में (नई रंगाई-पुताई सहित) सौंपा जाता है।

छोटे पालतू जानवर अनुमत हैं; कुत्ते और बिल्ली केवल सहमति से।

गृह-प्रवेश और मकान खाली करते समय संयुक्त सुपुर्दगी विवरण बनाया जाता है (अलग टेम्पलेट देखें)।

7. अतिरिक्त शर्तें

अतिरिक्त शर्तें (जैसे घर के नियम, मरम्मत, उप-किराया)

स्थान

दिनांक

स्थान

दिनांक

मकान मालिक के हस्ताक्षर

किरायेदार के हस्ताक्षर